

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा
प्रशासन गौले के समक्ष अभिमान 2021 कैम्प पीपलुन्द

प्रकरण संख्या/ 1078/21

प्रशासन गावों के सग अभियान-2021

दिनांक 18-12-2021

उनवान

श्री प्रेमशंकर पुत्र खाना भीणा यन्नाम

सरकार जरिये तहसीलदार
जहाजपुर जिला भीलवाडा

::: आदेश :::

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र और उसके साथ संलग्न दस्तावेज,
पटवारी हल्का पीपलुन्द भू. अ. नि. पीपलुन्द एवं नायब तहसीलदार
/तहसीलदार जहाजपुर की रिपोर्ट/अनुशंसा अनुसार राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम
1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम शंकर चंदरी प. ह. पीपलुन्द
की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2074-2077 के खाता संख्या 66 में
प्रार्थीगण की प्रविष्टि प्रेम पुत्र खाना भीणा
के स्थान पर प्रेमशंकर पुत्र खाना
भीणा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने का आदेश
जारी किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल कर पालना प्रस्तुत की जाये।

De
उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर जिला भीलवाडा

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार, जहाजपुर जिला भीलवाडा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल कर पालना प्रस्तुत करें।
2. प्रार्थी श्री प्रेमशंकर पुत्र खाना भीणा
3. रक्षित पत्रायली

De
उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर जिला भीलवाडा